



सभी 11 रूल्स में सेलर की ज़िम्मेदारी कहां खत्म होती है और बायर की कहां शुरू होती है। हमेशा रूल, नामित जगह और एडिशन लिखें, जैसे "FOB Busan Incoterms 2020"।

रूल	बायर को डिलीवरी और रिस्क ट्रांसफ़र	मेन फ्रेट कौन देता है	इंश्योरेंस	एक्सपोर्ट क्लीयरेंस	इंपोर्ट क्लीयरेंस और ड्यूटी
कोई भी मोड					
EXW Ex Works	सेलर के प्रिमाइसेस पर, माल उपलब्ध कराया गया, लोड नहीं किया गया	बायर	ज़रूरी नहीं	बायर	बायर
FCA Free Carrier	नामित जगह पर बायर के कैरियर को सौंपा गया	बायर	ज़रूरी नहीं	सेलर	बायर
CPT Carriage Paid To	शिपमेंट वाले देश में पहले कैरियर को सौंपा गया	सेलर	ज़रूरी नहीं	सेलर	बायर
CIP Carriage and Insurance Paid To	शिपमेंट वाले देश में पहले कैरियर को सौंपा गया	सेलर	सेलर को इंश्योरेंस लेना होगा: ICC (A), वैल्यू का 110%	सेलर	बायर
DAP Delivered at Place	नामित डेस्टिनेशन पर, अनलोडिंग के लिए तैयार	सेलर	ज़रूरी नहीं	सेलर	बायर
DPU Delivered at Place Unloaded	नामित डेस्टिनेशन पर, अनलोड किया हुआ	सेलर	ज़रूरी नहीं	सेलर	बायर
DDP Delivered Duty Paid	नामित डेस्टिनेशन पर, अनलोडिंग के लिए तैयार	सेलर	ज़रूरी नहीं	सेलर	सेलर
समुद्री और इनलैंड वॉटरवे					
FAS Free Alongside Ship	शिपमेंट पोर्ट पर जहाज़ के बगल में	बायर	ज़रूरी नहीं	सेलर	बायर
FOB Free On Board	शिपमेंट पोर्ट पर जहाज़ पर (ऑन बोर्ड)	बायर	ज़रूरी नहीं	सेलर	बायर
CFR Cost and Freight	शिपमेंट पोर्ट पर जहाज़ पर (ऑन बोर्ड)	सेलर	ज़रूरी नहीं	सेलर	बायर
CIF Cost, Insurance and Freight	शिपमेंट पोर्ट पर जहाज़ पर (ऑन बोर्ड)	सेलर	सेलर को इंश्योरेंस लेना होगा: ICC (C), वैल्यू का 110%	सेलर	बायर

कंटेनर कार्गो: FOB, CFR और CIF की जगह FCA, CPT और CIP

FAS, FOB, CFR और CIF उस माल के लिए हैं जो सीधे जहाज़ पर लोड होता है। कंटेनर आम तौर पर लोडिंग से कई दिन पहले टर्मिनल पर सौंप दिए जाते हैं, इसलिए ICC कंटेनर शिपमेंट के लिए FCA, CPT या CIP की सलाह देता है। इससे रिस्क तब ट्रांसफ़र होता है जब आप कंटेनर सौंपते हैं, न कि तब जब वह जहाज़ पर चढ़ाया जाता है।

C रूल्स में दो अहम पॉइंट होते हैं

CPT, CIP, CFR और CIF में सेलर डेस्टिनेशन तक का फ्रेट देता है, लेकिन रिस्क शिपमेंट वाले देश में ही बायर को ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर समुद्र में माल को नुकसान हो तो बायर इंश्योरेंस क्लेम करता है; CIF और CIP में वह इंश्योरेंस सेलर को करवाना होता है।

2020 में क्या बदला

DAT का नाम बदलकर DPU हुआ और अब यह सिर्फ टर्मिनल नहीं, कोई भी जगह हो सकती है। CIP में अब ऑल-रिस्क कवर, ICC (A), ज़रूरी है, जबकि CIF में अब भी सिर्फ ICC (C) ज़रूरी है। FCA में दोनों पक्ष तय कर सकते हैं कि बायर का कैरियर सेलर को ऑन-बोर्ड बिल ऑफ लैडिंग जारी करे, जिससे लेटर ऑफ क्रेडिट में मदद मिलती है। सेलर और बायर कैरियर हायर करने की जगह अपनी गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं।